भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा

18.12.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3879 का उत्तर

कोरोना काल में बंद की गई रेलगाड़ियों को पुनः शुरू करना

3879. श्री रमाशंकर राजभर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोरोना काल में देशभर में कई रेलगाड़ियों का परिचालन बंद किया गया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसी रेलगाड़ियों को पुन: शुरू करने के संबंध में क्या प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) अब तक पुन: आरंभ न की गई रेलगाड़ियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार शिक्षुता का संचालन करती है; और

(च) यदि हां, तो उक्त शिक्षुता को समायोजित करने की स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से, भारतीय रेल ने 23 मार्च, 2020 से सभी नियमित यात्री गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया था और केवल विशेष ट्रेन सेवाएं ही चलाई जा रही थीं। इस बीच, भारतीय रेल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई की सहायता से समय-सारिणी को भी युक्तिसंगत बनाया। युक्तिसंगत बनाने के परिणामस्वरूप, सभी नियमित यात्री गाड़ियों को युक्तिसंगत समय-सारिणी के अनुसार परिचालित किया जा रहा है।

(ङ): भारतीय रेल अपनी उत्पादन इकाइयों, कारखानों, लोको शेडों, कैरिज और वैगन डिपो आदि जैसी विभिन्न इकाइयों में प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रशिक्षुता कार्यक्रम आयोजित करता है।

(च): प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 22 में संशोधन के अनुसार, जिसमें यह प्रावधान है कि "प्रत्येक नियोक्ता को अपने प्रतिष्ठान में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि पूरी कर चुके किसी भी प्रशिक्षु की भर्ती के लिए अपनी स्वयं की नीति तैयार करनी होगी"। यह निर्णय लिया गया है कि सीधी भर्ती के मामले में लेवल-1 की 20% रिक्तियों को पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके अधिनियम प्रशिक्षुओं (सीसीएए) को वरीयता देते हुए भरा जाएगा। रेल प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके अधिनियम प्रशिक्षु उम्मीदवारों को भी प्रशिक्षुता के लिए उचित वेटेज दिया गया है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन के बाद अंतिम मेरिट सूची तैयार करने में एक तिहाई अंक उनकी प्रशिक्षुता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दिए जाएं। इन अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी गई है। रेलवे इन प्रशिक्षित पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके अधिनियम प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत उम्मीदवारों की प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि तक ऊपरी आयु में अतिरिक्त छूट प्रदान करता है, जो अधिकतम तीन (3) वर्ष है।

*****